राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: प्रेस नोट :–

दिनांक : 09.03.2021

आयोग द्वारा प्राध्यापक (मा.शि.) प्रतियोगी परीक्षा – 2018 दिनांक 03.01.2020 से दिनांक 13.01.2020 तक आयोजित की गई। प्राध्यापक (मा.शि.) प्रतियोगी परीक्षा – 2018 में पात्रता जांच हेतु प्रोविजनल सूची दिनांक 23.06.2020 से दिनांक 27.08.2020 तक जारी की गई। काउसलिंग के द्वारा पात्रता जांच के पश्चात् मुख्य परिणाम दिनांक 20.11.2020 से दिनांक 24.12.2020 तक जारी किय गये। मुख्य परीक्षा में उतीर्ण अभ्यर्थियों के नाम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को दिनांक 11.12.2020 से दिनांक 19.01.2021 तक नियुक्ति हेतु भिजवा दिए गये।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 638/2021 कमल यादव बनाम् सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 की पालना में आयोग द्वारा विषय विशेषज्ञों की समिति का गठन कर रिपोर्ट प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई, परन्तु इस रिट याचिका के समकक्ष अन्य रिट याचिका संख्या 1805/2021 देवेन्द्र कुमार मीणा बनाम् सरकार व अन्य, रिट याचिका संख्या 1960/2021 सुर्जन लाल धवन बनाम् सरकार व अन्य, रिट याचिका संख्या 2886/2021 भगवान सिंह व अन्य बनाम् सरकार व अन्य तथा अन्य समकक्ष रिट याचिका प्राप्त हुई। नवीनतम रिट याचिका संख्या 1347/2021 नम्रता जाट बनाम् सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 05.03.2021 को पारित किए। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभी नवीनतम रिट याचिका नम्रता जाट बनाम् सरकार में पारित आदेश दिनांक 05.03.2021 की अनुपालना में तथा उपरोक्त अन्य समकक्ष रिट याचिकाओं में जिन प्रश्नों पर चुनौती दी गई है, ऐसे सभी प्रश्नों पर विषय विशेषज्ञ समिति गठित कर अतिशीघ्र कार्यवाही की जा रही है। आयोग स्तर पर इस संबंध में कोई विलम्ब नहीं है।

कुछ अभ्यर्थियों द्वारा समाचार पत्रों में गलत तथ्यों/भ्रामक/बेबुनियाद जानकारियाँ दी जा रहीं है, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आयोग स्तर पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार अतिशीघ्र आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(शुभम् चौधरी)
सचिव